

निस्तारण हेतु लोक अदालत कौर्ट केम्प
कोर्ट विन्जारी दिनांक 18-5-18 को पेश
हो।

तमीर में जारी हुए

18-5-18

पत्रावली आज लोक अदालत कौर्ट केम्प
विन्जारी में पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित
जबाब तहसीलदार प्राजा शामिल पत्रावली
किया गया। सुरेश पुत्र सीताराम ने
उपस्थित हो प्रार्थी को चाहा गया
अनुलोष दिये जाने वाकत मोखिक
सहमति प्र- दी एवं हस्ताक्षर किये।
ग्राम रोकड़ा के राजस्व जमाबंदी संवत् 2070-73
के सहखातेदार रामेश्वर पुत्र रामभुवांड
प्रभु पु. सोहन दास ने श्री हरकेश पुत्र
सीताराम दास के स्थान पर शुद्धि करवा
दुरु खाता सं० 201 व 202 ग्राम रोकड़ा
में रामकेश पुत्र सीताराम अविनाकर
दिया जाता है तो उनकी इस वाकत
सहमति है। जबाब तहसीलदार
अनुसार राजस्व जमाबंदी संवत्
2073-2076 ग्राम विन्जारी के
खाता सं० 185 में रामकेश पु. सीताराम
दास दर्ज रिकॉर्ड है तथा ग्राम
रोकड़ा के खाता सं० 201 व 202 में
हरकेश पु. सीताराम दास अविनाकर
मजमे आम अनुसार हरकेश पु
सीताराम ही रामकेश पु. सीताराम
ही सीताराम बेरागी के हरकेश
नाम का कोई पुत्र नहीं है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेज जात
जबाब तहसीलदार एवं सहमति
द्वारा अग्रार्थी सं० 2 व अन्य सहखातेदारान
के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी
स्वीकार किया जाकर यह आदेश पारित
किया जाता है कि ग्राम रोकड़ा में
जमाबंदी संवत् 2070-73 के खाता
सं० 201, 202 में हरकेश पु. सीताराम
कोम बेरागी को शुद्ध करवा
रामकेश पु. सीताराम कोम बेरागी

रामेश्वर
पु. सोहन दास
सुद्धि

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीर में जारी हुए
---------------	------------------------------------	--

अंकित किया जावे ताहसीलदार चौथी
 बुरवाड़ा को इन्फार्मेशन राजस्व विभाग
 में शुद्ध करने हेतु तदर्थ जारी हुए
 पत्रावली क्रमांक 10/2018 का दर्ज नोटिस
 कम है।

24/7
 मय 2018
 डाटा



1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100